

संख्या-36012/22/93-रथो॥अनु०जा०॥

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय
 {कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग}

नई दिल्ली, दिनांक: 22.10.1993.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण हेतु ।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन्दिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में अपेक्षित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए । 50% के नियम को लागू करने के लिए एक वर्ष को इकाई के रूप में माना जाना चाहिए न कि संवर्ग, सेवा या इकाई की पूरी तादाद को, जैसा भी मामला हो । यह स्थिति अग्रेणित रिक्तियों के मामले में भी लागू होगी । इसलिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे ऐसा सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को कुल मिलाकर दिया गया आरक्षण, एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों का 50% से अधिक नहीं हो ।

2: अन्य पिछड़े वर्गों को दिये गये आरक्षण के परिपेक्ष्य में विद्यमान आरक्षण/रोस्टर को संशोधित करना आवश्यक है । अखिल भारतीय स्तर पर कुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के संबंध में जहां पर अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7½% आरक्षण है, वहां पर अनुबन्धक में दशायि नमूने के अनुसार विद्यमान 40 प्वाइंट रोस्टर को 200 प्वाइंट रोस्टर में संशोधित कर दिया गया है । संशोधित रोस्टर तुरन्त प्रभावी होगा । 8.9.1993 को अथवा उसके बाद भरी जाने वाली रिक्तियां नये रोस्टर में दशायि जायें जो अब अनुबन्धक में दी गई हैं । पुराना रोस्टर इस तारीख से समाप्त हुआ समझा जाएगा । पिछले रोस्टर से अग्रेणित किए जाने वाला रोस्टर अब नए रोस्टर से अग्रेणित किया जाएगा ।

3: जहां तक पदोन्नति का संबंध है, विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया चूंकि पदोन्नति में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

4: अन्य पिछड़े वर्गों को कोई और छूट/रियायत अनुज्ञेय नहीं है । अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में किसी तरह के शिक्षित मानदण्डों के लागू होने का प्रावधान नहीं है ।

5. इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के समसूच्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 घ में यह बताया गया है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के उद्देश्य से जातियों तथा समुदायों की एक सूची अलग से जारी की जानी है। कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के अपने संकल्प संख्या-12011/68/93-बी0बी0सी0सी0 में उपर्युक्त सूची अधिसूचित की है। जातियों/समुदायों के सत्यापन के लिये केवल निम्नलिखित प्राधिकारियों के प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे:-

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक/इन्डियन मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/तलुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ऐक्सट्रा सहायक आयुक्त/प्रथम श्रेणी वैतन भोगी मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो।

ख) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी।

घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

एम. वैक्टरामन

एम0 वैक्टरामन

अवर सचिव, भारत सरकार


सेवामें,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।

3. आर्थिक मामले विभाग/बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली।

आर्थिक मामले विभाग/बीमा प्रभाग, नई दिल्ली।



अनुसूचक "क"

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. अनुसूचित जातियां | 38. अनारक्षित |
| 2. अनारक्षित | 39. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 3. अनुसूचित जनजातियां | 40. अनारक्षित |
| 4. अनारक्षित | 41. अनुसूचित जातियां |
| 5. अन्य पिछड़े वर्ग | 42. अनारक्षित |
| 6. अनारक्षित | 43. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 7. अनुसूचित जातियां | 44. अनारक्षित |
| 8. अनारक्षित | 45. अनुसूचित जनजातियां |
| 9. अन्य पिछड़े वर्ग | 46. अनारक्षित |
| 10. अनारक्षित | 47. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 11. अन्य पिछड़े वर्ग | 48. अनारक्षित |
| 12. अनारक्षित | 49. अनुसूचित जातियां |
| 13. अनुसूचित जातियां | 50. अनारक्षित |
| 14. अनारक्षित | 51. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 15. अन्य पिछड़े वर्ग | 52. अनारक्षित |
| 16. अनारक्षित | 53. अनुसूचित जातियां |
| 17. अनुसूचित जनजातियां | 54. अनारक्षित |
| 18. अनारक्षित | 55. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 19. अन्य पिछड़े वर्ग | 56. अनारक्षित |
| 20. अनारक्षित | 57. अनुसूचित जनजातियां |
| 21. अनुसूचित जातियां | 58. अनारक्षित |
| 22. अनारक्षित | 59. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 23. अन्य पिछड़े वर्ग | 60. अनारक्षित |
| 24. अनारक्षित | 61. अनुसूचित जातियां |
| 25. अन्य पिछड़े वर्ग | 62. अनारक्षित |
| 26. अनारक्षित | 63. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 27. अनुसूचित जातियां | 64. अनारक्षित |
| 28. अनारक्षित | 65. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 29. अन्य पिछड़े वर्ग | 66. अनारक्षित |
| 30. अनारक्षित | 67. अनुसूचित जातियां |
| 31. अनुसूचित जनजातियां | 68. अनारक्षित |
| 32. अनारक्षित | 69. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 33. अन्य पिछड़े वर्ग | 70. अनारक्षित |
| 34. अनारक्षित | 71. अनुसूचित जनजातियां |
| 35. अनुसूचित जातियां | 72. अनारक्षित |
| 36. अनारक्षित | 73. अन्य पिछड़े वर्ग |
| 37. अन्य पिछड़े वर्ग | 74. अनारक्षित |

- 75. अन्य पिछड़े वर्ग
- 76. अनारक्षित
- 77. अनुसूचित जातियाँ
- 78. अनारक्षित
- 79. अन्य पिछड़े वर्ग
- 80. अनारक्षित
- 81. अनुसूचित जातियाँ
- 82. अनारक्षित
- 83. अन्य पिछड़े वर्ग
- 84. अनारक्षित
- 85. अनुसूचित जनजातियाँ
- 86. अनारक्षित
- 87. अन्य पिछड़े वर्ग
- 88. अनारक्षित
- 89. अनुसूचित जातियाँ
- 90. अनारक्षित
- 91. अन्य पिछड़े वर्ग
- 92. अनारक्षित
- 93. अनुसूचित जातियाँ
- 94. अनारक्षित
- 95. अन्य पिछड़े वर्ग
- 96. अनारक्षित
- 97. अनुसूचित जनजातियाँ
- 98. अनारक्षित
- 99. अन्य पिछड़े वर्ग
- 100. अनारक्षित
- 101. अनुसूचित जातियाँ
- 102. अनारक्षित
- 103. अन्य पिछड़े वर्ग
- 104. अनारक्षित
- 105. अन्य पिछड़े वर्ग
- 106. अनारक्षित
- 107. अनुसूचित जातियाँ
- 108. अनारक्षित
- 109. अन्य पिछड़े वर्ग
- 110. अनारक्षित

- 111. अनुसूचित जनजातियाँ
- 112. अनारक्षित
- 113. अन्य पिछड़े वर्ग
- 114. अनारक्षित
- 115. अनुसूचित जातियाँ
- 116. अनारक्षित
- 117. अन्य पिछड़े वर्ग
- 118. अनारक्षित
- 119. अन्य पिछड़े वर्ग
- 120. अनारक्षित
- 121. अनुसूचित जातियाँ
- 122. अनारक्षित
- 123. अन्य पिछड़े वर्ग
- 124. अनारक्षित
- 125. अनुसूचित जनजातियाँ
- 126. अनारक्षित
- 127. अन्य पिछड़े वर्ग
- 128. अनारक्षित
- 129. अनुसूचित जातियाँ
- 130. अनारक्षित
- 131. अन्य पिछड़े वर्ग
- 132. अनारक्षित
- 133. अनुसूचित जातियाँ
- 134. अनारक्षित
- 135. अन्य पिछड़े वर्ग
- 136. अनारक्षित
- 137. अनुसूचित जनजातियाँ
- 138. अनारक्षित
- 139. अन्य पिछड़े वर्ग
- 140. अनारक्षित
- 141. अनुसूचित जातियाँ
- 142. अनारक्षित
- 143. अन्य पिछड़े वर्ग
- 144. अनारक्षित
- 145. अन्य पिछड़े वर्ग
- 146. अनारक्षित
- 147. अनुसूचित जातियाँ

148. अनारक्षित
149. अन्य पिछड़े वर्ग
150. अनारक्षित
151. अनुसूचित जनजातियां
152. अनारक्षित
153. अन्य पिछड़े वर्ग
154. अनारक्षित
155. अनुसूचित जातियां
156. अनारक्षित
157. अन्य पिछड़े वर्ग
158. अनारक्षित
159. अन्य पिछड़े वर्ग
160. अनारक्षित
161. अनुसूचित जातियां
162. अनारक्षित
163. अन्य पिछड़े वर्ग
164. अनारक्षित
165. अनुसूचित जनजातियां
166. अनारक्षित
167. अन्य पिछड़े वर्ग
168. अनारक्षित
169. अनुसूचित जातियां
170. अनारक्षित
171. अन्य पिछड़े वर्ग
172. अनारक्षित
173. अनुसूचित जातियां
174. अनारक्षित
175. अन्य पिछड़े वर्ग
176. अनारक्षित
177. अनुसूचित जनजातियां
178. अनारक्षित
179. अन्य पिछड़े वर्ग
180. अनारक्षित
181. अनुसूचित जातियां
182. अनारक्षित
183. अन्य पिछड़े वर्ग
184. अनारक्षित
185. अन्य पिछड़े वर्ग
186. अनारक्षित
187. अनुसूचित जातियां
188. अनारक्षित
189. अन्य पिछड़े वर्ग
190. अनारक्षित
191. अनुसूचित जनजातियां
192. अनारक्षित
193. अन्य पिछड़े वर्ग
194. अनारक्षित
195. अनुसूचित जातियां
196. अनारक्षित
197. अन्य पिछड़े वर्ग
198. अनारक्षित
199. अनारक्षित
200. अनारक्षित